न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-124RAABarmer2025-07RTA225 Abdul Rahman ors Vs Mohmmad Kasam etc 2025-176RAABarmer2025-13RTA225 Ramjan Khan Vs Mohammd Kasam etc

रमजान खां पुत्र श्री पन्नु खां कौम मुसलमान निवासी– थाट तहसील–पोकरण जिला जैसलमेर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. मोहम्मद कासम पुत्र श्री शेरू खां
2. सिकन्दर खां पुत्र श्री मोहम्मद कासम
3. कुर्बान खां पुत्र श्री चनेशर खां
4. सईद खां पुत्र श्री करीम खां
5. अब्दुल रहमान पुत्र श्री पुन्नु खां
6. रईसदीन पुत्र श्री बच्चू खां
7. असलम खां पुत्र श्री बच्चू खां
8. अरशद खां पुत्र श्री बच्चू खां
9. बाबू खां पुत्र श्री बच्चू खां
10. मंजूरदीन पुत्र श्री बच्चू खां
11. नैनू खां पुत्र श्री बच्चू खां
12. श्रीमति खतीजो धर्मपत्नि श्री बच्चू खां
    कौम मूसलमान निवासी नई गुडडी तहसील–पोकरण जिला– जैसलमेर।
13. तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।
14. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पोकरण।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 27 फरवरी 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण राजस्व प्रार्थना पत्र सं 13/2022 अनवान मोहम्मद कासम बनाम रहमान इत्यादि

उपस्थित–

श्री हरीराम चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स

श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

02. 2025-176RAABarmer2025-13RTA225 Ramjan Khan Vs Mohammd Kasam etc

1. अब्दुल रहमान पुत्र श्री पुन्नु खां
2. बच्चु खां पुत्र पुनू खां के कायम मुकामः–
   2.1. रईसदीन पुत्र श्री बच्चू खां
   2.2. असलम खां पुत्र श्री बच्चू खां
   2.3. अरशंदा खां पुत्र श्री बच्चू खां
   2.4. बसीरं पुत्र श्री बच्चू खां
   2.5. मंजूरदीन पुत्र श्री बच्चू खां
   2.6. सलीम खान पुत्र श्री बच्चू खां
   2.7. श्रीमति खतीजो पत्नि श्री बच्चू खां

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कौम मूसलमान निवासी नई गुडडी तहसील–पोकरण जिला– जैसलमेर।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. मोहम्मद कासम पुत्र श्री शेरू खां
2. कुर्बान खां पुत्र श्री चनेश खां
3. सईद खां पुत्र श्री करीम खां
4. सिकन्दर खां पुत्र श्री मोहम्मद कासम
   कौम मूसलमान निवासी नई गुडडी तहसील–पोकरण जिला– जैसलमेर।
5. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा पोकरण।
6. तहसीलदार पोकरण जिला जैसलमेर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 27 फरवरी 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण राजस्व प्रार्थना पत्र सं 13/2022 अनवान मोहम्मद कासम बनाम रहमान इत्यादि

उपस्थित–
श्री पवन सिंहल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स

नि र्ण य

दिनांक : 04 फरवरी 2026

दोनो अपीलों के अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 अनवान मोहम्मद कासम बनाम अब्दुल रहमान इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत क्रमशः दिनांक 31 मार्च 2025 एवं 25 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत की है।

अपील संख्या 13/2025 के अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

दोनो अपीलों की विषय–वस्तु, प्रकृति समान होने तथा एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग–अलग प्रति रखी जावे।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नंबर 459/15 रकबा 8.0937 हैक्टेयर मौजा गुडडी तहसील पोकरण में आवागमन हेतु रेस्पो. संख्या दो से चौदह की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 343/15

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रकबा 08.0937 हैक्टेयर, 342/15 रकबा 8.0937 हैक्टेयर, एवं खसरा नंबर 365/15 रकबा 8.0937 हैक्टेयर में से रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 फरवरी 2025 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स(अपील संख्या 07/2025) ने तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना व अपीलान्टगण को अपना पक्ष/दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना तथा उनकी अनुपस्थिति में तहसीलदार से तलब मौका रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण के विरूद्ध सम्पूर्ण पत्रावली की आदेशिका में जारी नोटिसों की तामिली व अदम तामीली की कोई इबारत अंकित नहीं की है एवम उत्तरदाता के द्वारा जो नोटिस अपीलान्टगण को मूल आवेदन में जारी किए गए थे, उक्त नोटिस अपीलान्टगण को उनके वास्तविक निवास पते पर तामिल हुए हों, ऐसी कोई ट्रेक रिपोर्ट न्यायालय में पेश नहीं की, लेकिन अदालत मातहत ने उन तथ्यों को गौर किए बिना व अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रकरण में केवल मात्र उत्तरदाता के कथनों को आधार मानकर एकतरफा रूप से अपीलान्टगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 342/15 व 343/15 में से उत्तरदाता कासम की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 459/15 को रास्ता देने का आदेश पारित कर दिया जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तरदाता मोहम्मद कासम ने बच्चु खां के वारिस में बाबु खां व नेनु खां का नाम अंकित करवाया, जबकि बच्चु खां के वारिस में बाबु खां व नेनु खां नाम के कोई पुत्र हैं ही नहीं, बच्चु खां के वारिस में असलम, अरशंदा, बशीर, मंजूरदीन, रईसदीन, सलीम व पत्नी खतीजों है, लेकिन उत्तरदाता मोहम्मद कासम ने जानबूझकर मूल आवेदन में गलत पक्षकारान का नाम अंकित कर उनके नाम नोटिस जारी करवाकर मूल आवेदन में एकतरफा रूप से अपीलान्टगण की खातेदारी भूमि में रास्ता निकालने का आदेश पारित करवा दिया, जबकि बच्चु खां के वारिस सलीम व बशीर जो कि बच्चु खां के जाइंदा पुत्र हैं व उक्त दोनों अपीलान्ट प्रकरण में महत्वपूर्ण हित रखते हैं, को पक्षकार बनाये बिना व गलत रूप से पक्षकार बनाकर जो उत्तरदाता कासम ने गलत तथ्यों के आधार पर मूल आवेदन में दिनांक 27.02.2025 को रास्ता निकलवाने का आदेश पारित करवाया है वो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि उत्तरदाता कासम की भूमि खसरा नंबर 459/15 के पूर्व दिशा की ओर खसरा नंबर 461/15, 185/15 व 336/15 के लगते अवश्य रास्ता चल रहा है जो मौके पर रास्ता होने के बावजूद भी उत्तरदाता कासम ने अपने आवेदन में जानबूझकर उक्त रास्ते का हवाला नहीं दिया और हल्का पटवारी ने भी अपनी मौका निरीक्षण रिपोर्ट में उक्त रास्ते का जानबूझकर हवाला नहीं दिया एवम इसके अतिरिक्त हल्का पटवारी मौके पर गया ही नहीं और उक्त रिपोर्ट कार्यालय में बैठे तैयार की गई है,

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जिससे भी यह तथ्य भलीभांति स्पष्ट है कि जब हल्का पटवारी व अन्य अधिकारी मौके पर गये ही नहीं तो उनके द्वारा वास्तविक स्थिति न्यायालय पटल पर पेश की गई है वो गलत पेश की है एवं ऐसी रिपोर्ट पर पारित आदेश अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 27 फरवरी 2025 को अपास्त किया जावे एवं उक्त आदेश की पालना में राजस्व रेकर्ड में हुए इन्द्राज को निरस्त किया जावे।

अधिवक्ता अपलांट (अपील संख्या 13/2025) ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपनी बहस में कथन किया कि भूमि खसरा नंबर 365/15 ग्राम नई गुडडी पर अपीलांट का पुश्तैनी रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि के संबंध में अपीलान्ट व प्रार्थी, विप्रार्थीगण के मध्य फौजदारी प्रकरणें के साथ साथ अन्य राजस्व व दिवानी न्यायालयों में प्रकरण व कार्यवाहीयां चल रही है व रास्ता चाहने वाली आराजी में प्रार्थी हित रखता है, क्योंकि उक्त जमीन जिसमें से रास्ता मांगा गया हैं व प्रार्थी की जमीन हैं, जिससे प्रार्थी आवश्यक रूप से नेसेसरी प्रार्टी हैं व कार्यवाही में भाग लेना चाहता है, जो न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है तथा न्यायालय में होने वाली कार्यवाही में बिना प्रार्थी के पक्षकार के प्रार्थी के अधिकारों पर कुठाराघात होगा। उक्त अपीलाधीन आवेदन पत्र व अपील में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है एवं उसमें प्रार्थी का महत्वपूर्ण व विधिक हित निहित हैं। इसलिये वह हस्तगत अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

गुणावगुण पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जरिये अधिवक्ता श्री आशाराम चण्डक के उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रस्तुत कर हितबद्ध पक्षकार होने से पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का पक्ष सुने बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। रेस्पो. के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। धारा 251–ए के तहत नवीन रास्ता नहीं दिया जा सकता है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट व प्रार्थी, विप्रार्थीगण के मध्य फौजदारी प्रकरणें के साथ साथ अन्य राजस्व व दिवानी न्यायालयों में प्रकरण व कार्यवाहीयां चल रही है व रास्ता चाहने वाली आराजी में अपीलांट हित रखता है, क्योंकि जिस जमीन जिसमें से रास्ता मांगा गया है वह भूमि अपीलांट की की कब्जे काश्त की है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उक्त आराजी के संबंध में किसी प्रकार का आदेश पारित नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय, विधिविरूद्ध एवं धारा 251–ए की मंशा के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर पोकरण द्वारा प्रकरण संख्या 13/2022 बअनवान मोहम्मद कासम बनाम अब्दुल रहमान वगैरा में पारित आदेश दिनाँक 27/02/2025 को निरस्त फरमाया जावे एवं उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) में विधिक दृ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ष्टिकोण में अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकार होने से पक्षकार बनाकर पक्ष रखने व सुनवाई का अवसर दिया जाकर मौके रिपोर्ट हेतु नोटिस देकर उनकी उपस्थिति में मौका रिपोर्ट धारा 251 (क) राज. काश्त. अधि. के प्रतिपादित सिद्वान्तों के परिपेक्ष्य में कायम कर उस पर उनका पक्ष सुना जाकर पुनः निर्णय हेतु प्रतिपेषित किये जाने का आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्तागण के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पो. की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट रमजान खां राजस्व रेकर्ड में खसरा नंबर 365/15 का खातेदार दर्ज नहीं है। उसकी ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु आवेदन किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 07.10.2024 को आवेदन विधिसम्मत रूप से खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की गई है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. के आवागमन हेतु मौके पर किसी प्रकार का रास्ता नहीं बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के आधार पर धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपीले सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 24.06. 20222 के अवलोकन मुताबिक रेस्पो./प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नंबीर 459/15 में आवागमन हेतु मौके पर भूमि खसरा नंबर 365/15, 342/15, 343/15 में से लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध वचन पत्र/ सहमति पत्र के मुताबिक खातेदार चनेशर खां, सईद खां पुत्र करीम खां, सिकन्दर खां पुत्र मोहम्मद खां द्वारा खसरा नंबर 365/15 की भूमि की परिश्चमी दिशा की तरफ 12 फीट चौड़ा रास्ता समर्पण किये जाने के कथन किये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर धारा 251 की मंशा के अनुरूप लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट्स(अपील संख्या 07/2025) का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील नहीं करवायी गई है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अपीलांट्स को भेजे गये सम्मनों की पोस्टल रसीदात मुताबिक अपीलांट्स पर सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. डाक से तामील करवाये गये है। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि रेस्पो. के आवागमन हेतु मौके पर खसरा नंबर 342/15 एवं 343/15 में सें लघुतम रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट्स के उक्त उज्र के संबंध में उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट्स द्वारा बताया गया रास्ते का विकल्प अपीलाधीन रास्ते के समानांतर स्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि अपीलांट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

द्वारा रास्ता न दिये जाने की मंशा से उक्त विकल्प बताया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स के उक्त उज्र स्वीकार्य नहीं है।

जहां तक अपील संख्या 13/2025 के अपीलांट का उज्र है कि खसरा नंबर 365/15 की भूमि उसकी पुश्तैनी भूमि होने से वह अपीलाधीन आदेश से हितबद्ध पक्षकार है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु आवेदन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के उक्त आवेदन को इस आधार पर कि अपीलांट उक्त आराजी का खातेदार दर्ज नहीं है, खारिज कर उसे बतौर पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम स्तर पर किसी प्रकार की चाराजोही की गई है। यह उल्लेखनीय है कि धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संबंधित जोत के रेकर्डेड खातेदार की सुनवाई का प्रावधान है। लिहाजा अपीलांट उक्त आराजी का खातेदार दर्ज नहीं होने से अपीलाधीन आदेश से उसके हित किसी प्रकार से प्रभावित नहीं हो रहे है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील अनुमति बाधित पायी जाती है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा अनुरूप लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने से अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील संख्या 13/2025 अनुमति बाधित पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अपील संख्या 07/2025 गुणावगुण पर स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 अनवान मोहम्मद कासम बनाम अब्दुल रहमान इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर